10 Rs. COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5 Rs. COURT FEE भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES

(12)

निग० 1915-I/07

न्यायालय :– माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रक. /2007 निगरानी

अखण्ड प्रसाद पुत्र बैद्यनाथ प्रसाद निवासी डगरदुआ तह. सिरमौर जिला रीवा म.प्र.
.............आवेदक

बनाम

1. बृजमोहन पुत्र श्री अंबिका प्रसाद
2. अशोक कुमार पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासीगण डगरदुआ तह. सिरमौर जिला रीवा म.प्र.

...............अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि० 10-12-07 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रक. 212/निगरानी/05–06 में पारित निर्णय दिनांक 20–11–07 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत।

(S.P. Dwivedi Adv.) 10.12.07

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :–

निगरानी के तथ्य :–

यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, अनावेदक द्वारा तहसील सिरमौर न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि भूमि सर्वे क. 65, 66, 67, एवं 104/1 के खसरा सुधार कर कॉलम क. 12 में कब्जा दर्ज करने वाबत् आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसका प्रक. 45 ए 6 ए/03–04 पर पंजीबद्ध किया गया जिस पर नायब तहसीलदार सिरमौर द्वारा कब्जा सुधार के संबंध में कोई कार्यवाही न करते हुये नामांतरण संबंधी आदेशों का हवाला देकर नामांतरण वाबत् आदेशित प्रविष्टि दर्ज करने का आदेश दिनांक 7–1–05 पारित किया गया जिसके अनुसार सुधार के संबंध में न तो कोई विवेचना की गई और ना ही उस विषय में कोई आदेश दिया गया। उक्त आदेश के खिलाफ आवेदक अखण्ड प्रसाद द्वारा मान. अनु.वि.अधि. सिरमौर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो प्रक. 103/ए6ए/04–05 पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 25–4–05 से स्वीकार की गई किन्तु उक्त आदेश के खिलाफ अपर कलेक्टर रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्रक. 492/अ–6–अ/04–05 पर दर्ज की गई जो आदेश दिनांक 15–12–05 से अस्वीकार कर दी गई। उक्त आदेश के खिलाफ अना. द्वारा अपर आयुक्त रीवा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 1915–दो/2007 जिला–रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13 –12–16	आवेदक अभिभाषक श्री एस0पी0 धाकड़ उपस्थित। अनावेदक के अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित । 2/ आवेदक अभिभाषक ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 212/निगरानी/2005–06 में पारित आदेश दिनांक 20.11.2007 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। 3/ प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ अपर कलेक्टर, रीवा ने 15.12.05 को मात्र इस आधार पर यह आदेश पारित किया है कि प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी, सिरमौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2005 को जो आदेश पारित किया है वह अंतिम आदेश है तथा किसी भी अंतिम आदेश के विरूद्ध अपील का प्रावधान है। संहिता की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी नहीं की जा सकती। निगरानीकार को चाहिये था कि वह उक्त आदेश के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील दायर करें, किन्तु उनके द्वारा ऐसा न किया जाकर निगरानी पेश की गई है जो ग्राह्य योग्य नहीं होने के कारण निगरानी खारिज की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.04.2005 को स्थिर रखा जाता है। अपर कलेक्टर के इसी	

आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा संहिता की 50 के तहत निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4/ अपर आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश का परिशीलन करने पर पाया गया कि न्यायालय अपर कलेक्टर, रीवा में अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 103/अ–6/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 25.04.05 के विरूद्ध निगरानी दिनांक 23.06.2005 को प्रस्तुत की गई जो दिनांक 04.07.2005 को पंजीबद्ध की जाकर मूल प्रकरण आहूत किया गया तथा आवेदक को तलब व मूल प्रकरण आने पर स्थंगन पर विचार किये जाने हेतु आदेशित किया गया । दिनांक 10.08.2005 को मूल प्रकरण प्राप्त हुआ और आवेदक के द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन–पत्र देकर न्यायालय की कार्यवाही स्थगित किये जाने का अनुरोध किया, लेकिन दिनांक 22.09.05 को अंतिम तर्क सुनकर निगरानीधीन आदेश पारित कर दिया गया । अपर कलेक्टर द्वारा पारित निगरानीधीन आदेश विधिसम्मत नहीं माना जा सकता, क्योंकि जब दिनांक 04.07.05 को निगरानी ग्राह्यता पर स्वीकार की जा चुकी थी तथा अभिलेख मंगाकर आवेदक को तलब भी किया जा चुका था तो पुनः प्रचलनशीलता पर कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता। यहां तक एक विचारणीय बिन्दू यह था कि दिनांक 04.07.05 को पूर्व पीठासीन अधिकारी ने प्रकरण को पंजीबद्ध कर किलया था तो उस आदेश को निरस्त करने के पूर्व वरिष्ठ न्यायालय से अनुमति लेनी आवश्यक थी, जो इस प्रकरण में नहीं ली गई है। कोई भी अपील/निगरानी जब ग्राह्यजा पर पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत होती है तो उसी समय प्रचलनशीलता पर

सुनने के पश्चात गुणदोष पर ही आदेश पारित किया जाना चाहिये । अपर कलेक्टर द्वारा पातिर प्रश्नाधीन आदेश कतई स्थिर नहीं रखा जा सकता । इसी आधार पर अपर आयुक्त रीवा ने अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 5.12.2005 निरस्त किया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का आदेश विधिनुकूल न होने से स्थिर नहीं रखा जा सकता, क्योंकि अपर आयुक्त ने एक ओर तो अपने आदेश में अपर कलेक्टर के आदेश को निरस्त करते हुये कहा है कि प्रकरण में गुणदोष पर तर्क सुनने के पश्चात गुणदोष पर ही आदेश पारित किया जाना चाहिये । किन्तु स्वयं अपर आयुक्त रीवा ने इस विचारणीय बिन्दु पर कतई ध्यान नहीं दिया । अनावेदक ने अधीनस्थ अपर कलेक्टर के समक्ष धारा 50 के तहत निगरानी प्रस्तुत की थी। यदि कोई भी प्रकरण का एक बार ग्राह्य पर अंतिम हो जाये, तो उक्त आदेश के विरूद्ध पुनः अपील अथवा निगरानी की जा सकती है। अनावेदक ने संहिता की धारा 32 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया था। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त, संहिता की धारा 32 के तहत कार्यवाही कर प्रकरण का निराकरण स्वयं गुण–दोषों के आधार पर करते या फिर भी अपर कलेक्टर को प्रकरण प्रत्यावर्तित कर, निर्देशित करते कि वे गुण–दोषों के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें। क्योंकि धारा 32 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि–यदि किसी अन्य धाराओं पर प्रकरण का निराकरण नहीं होता है, तो धारा 32 के तहत निगरानी को अपील में परिवर्तित करते हुये, प्रकरण का निराकरण किया जा सकता है।

6/ अतएव अपर आयुक्त रीवा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.11.07 विधि के विपरीत होने से निरस्त किया

जाता है तथा आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये, प्रकरण अपर कलेक्टर, रीवा को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रकरण का निराकरण गुणदोषों के आधार पर किया जावे, ताकि हितबद्ध पक्षकार न्याय से वंचित न हो सके। पक्षकार सूचित हो। तत्पश्चात प्रकरण समाप्त होकर, दाखिल रिकॉर्ड हो ।

(एस0एस0अली)
सदस्य